



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/6503

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

BMSICL, पटना

पटना, दिनांक 02/02/23

विषय: जिला औषधि भंडार का सुदृढीकरण करने के संबंध में।

प्रसंग: जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद का पत्रांक 2381 दिनांक 30.11.22

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद के उक्त प्रसंगिक पत्र द्वारा जिला औषधि भंडार के सुदृढीकरण हेतु सामग्री, उपकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए 490000/- एवं जिला औषधि भंडार के कार्यालयी व्यय के लिए 10000/- प्रतिमाह की दर से 120000/- राशि की माँग की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 654(12) दिनांक 26.07.2021 द्वारा राज्य के जिला औषधि भंडार का संचालन एवं नियंत्रण का दायित्व BMSICL को दिया गया है। अंकनीय है कि वितीय वर्ष 2018-19 में सभी जिला औषधि भंडार के नवीनीकरण/मरम्मती हेतु प्रति इकाई तीन लाख रुपये मात्र का आवंटन सभी जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया था। साथ ही, जनवरी 2019 में सभी जिला औषधि भंडार एवं जिलान्तर्गत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडार हेतु Pallets, Slotted Angle Racks, Manual Hydraulic Stackers, Platform Hand Truck राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से दिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि जिला औषधि भंडार, औरंगाबाद सहित सभी जिला औषधि भंडार में औषधियों आदि के रख-रखाव, भंडारण की व्यवस्था एवं जिला औषधि भंडार के सुदृढीकरण आदि बिन्दु पर समुचित निर्णय लेते हुए इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाये ताकि भारत सरकार के CRM टीम के निदेश का अनुपालन किया जा सके।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन
(संजय कुमार सिंह)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

BMSICL, पटना

पटना, दिनांक

विषय: जिला औषधि भंडार का सुदृढीकरण करने के संबंध में।

प्रसंग: जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद का पत्रांक 2381 दिनांक 30.11.22

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद के उक्त प्रसंगिक पत्र द्वारा जिला औषधि भंडार के सुदृढीकरण हेतु सामग्री, उपकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए 490000/- एवं जिला औषधि भंडार के कार्यालयी व्यय के लिए 10000/- प्रतिमाह की दर से 120000/- राशि की माँग की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 654(12) दिनांक 26.07.2021 द्वारा राज्य के जिला औषधि भंडार का संचालन एवं नियंत्रण का दायित्व BMSICL को दिया गया है। अंकनीय है कि वितीय वर्ष 2018-19 में सभी जिला औषधि भंडार के नवीनीकरण/मरम्मती हेतु प्रति इकाई तीन लाख रुपये मात्र का आवंटन सभी जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया था। साथ ही, जनवरी 2019 में सभी जिला औषधि भंडार एवं जिलान्तर्गत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडार हेतु Pallets, Slotted Angle Racks, Manual Hydraulic Stackers, Platform Hand Truck राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से दिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि जिला औषधि भंडार, औरंगाबाद सहित सभी जिला औषधि भंडार में औषधियों आदि के रख-रखाव, भंडारण की व्यवस्था एवं जिला औषधि भंडार के सुदृढीकरण आदि बिन्दु पर समुचित निर्णय लेते हुए इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाये ताकि भारत सरकार के CRM टीम के निदेश का अनुपालन किया जा सके।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: 6503.....

पटना, दिनांक: 02/02/23

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सभी जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक





जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद



118

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

पत्रांक.....DHS/GA-1/22-23

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना



औरंगाबाद, दिनांक...../...../2022

विषय - जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण करने के लिये राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग - कार्यालय पत्रांक 1178 दिनांक 31.05.22
महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण हेतु सामग्री, उपकरण तथा मरम्मत कार्य के लिये ₹0 490000/- (रु0 चार लाख नब्बे हजार मात्र) की मांग की गई थी एवं जिला औषधी भंडार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये ₹0 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से ₹0 120000/- (रु0 एक लाख बीस हजार मात्र) अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के संबंध में राशि अप्राप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 15th Common Review Mission (CRM) टीम के औरंगाबाद भ्रमण के क्रम में जिला औषधी भंडार को व्यवस्थित रखने का निदेश दिया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण के लिये ₹0 490000/- (रु0 चार लाख नब्बे हजार मात्र) एवं जिला औषधी भंडार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये ₹0 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से ₹0 120000/- (रु0 एक लाख बीस हजार मात्र) अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ह0/-)

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

(ह0/-)

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

ज्ञापक 2381/DHS/GA-1/2022-23 औरंगाबाद, दिनांक 30/11/2022

प्रतिलिपि - श्री मनीष रंजन, उप निदेशक (प्रोक्योरमेंट-ड्रग सेल), राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, ड्रग शाखा, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद



117



जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

पत्रांक 2381/DHS/GA-1/22-23

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना

औरंगाबाद, दिनांक 30/11/2022

विषय - जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण करने के लिये राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग - कार्यालय पत्रांक 1178 दिनांक 31.05.22
महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण हेतु सामग्री, उपकरण तथा मरम्मत कार्य के लिये रु० 490000/- (रु० चार लाख नब्बे हजार मात्र) की मांग की गई थी एवं जिला औषधी भंडार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से रु० 120000/- (रु० एक लाख बीस हजार मात्र) अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के संबंध में राशि अप्राप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 15th Common Review Mission (CRM) टीम के औरंगाबाद भ्रमण के क्रम में जिला औषधी भंडार को व्यवस्थित रखने का निदेश दिया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि जिला औषधी भंडार के सुदृढीकरण के लिये रु० 490000/- (रु० चार लाख नब्बे हजार मात्र) एवं जिला औषधी भंडार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से रु० 120000/- (रु० एक लाख बीस हजार मात्र) अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

Gen Logistic
1/12/22

विश्वासभाजन

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद





जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



116

पत्रांक 1178 DHS/(Acc.)/22-23

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

औरंगाबाद, दिनांक 31/05/2022

विषय :- जिला औषधि भण्डारगृह के सुदृढीकरण करने के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले में जिला औषधि भण्डार का संचालन कराया जा रहा है। दवाईयों की रख-रखाव एवं सुदृढीकरण करने के लिये सामग्रियों एवं उपकरणों की मांग की गयी है, साथ ही आवश्यक मरम्मती कार्य कराने के लिये भी मांग किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:-

Sl No.	Name of Items	Quantity	Estimated Cost (Rs.)
1.	Air Conditioner	2 Pcs.	1,00,000/-
2.	Bulb/Tube Set	20 Pcs.	60,000/-
3.	Ceiling Fan	06 Pcs.	18,000/-
4.	Refrigerator - 220 ml.	2 Pcs.	60,000/-
5.	Invertor with Battery - 2kva	01 Set	40,000/-
6.	R.O. (Water Filter)	01 Pc.	20,000/-
7.	Telephone with Net Facility	01 Pc.	10,000/-
8.	Electricity Wiring Work	*****	35,000/-
9.	Water Supply Work	*****	15,000/-
10.	Repair work of Floor	*****	32,000/-
11.	Repair work of Iron Grill Gate	*****	25,000/-
12.	Painting/Whitewashing of Drug Warehouse	*****	75,000/-
TOTAL			4,90,000/-

(मो० चार लाख नब्बे हजार मात्र)

पूर्व में भी दवा भण्डार गृह के मरम्मती एवं आवश्यक कार्य कराने के लिये राशि ₹.3,00,000/- (तीन लाख मात्र) उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग कर लिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त कार्य करायें जाने की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि दवा भण्डार गृह के मरम्मती कार्य एवं आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने के लिए राशि ₹.4,90,000/- (चार लाख नब्बे हजार मात्र) का बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही जिला औषधि भण्डार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये राशि ₹.10,000/- (दस हजार प्रति माह) के दर से पूरे वर्ष के लिये राशि ₹.1,20,000/- (एक लाख बीस हजार मात्र) का भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद





जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



पत्रांकDHS/(Acc.)/22-23

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

औरंगाबाद, दिनांक...../...../2022.

विषय :- जिला औषधि भण्डारगृह के सुदृढीकरण करने के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले में जिला औषधि भण्डार का संचालन कराया जा रहा है। दवाईयों की रख-रखाव एवं सुदृढीकरण करने के लिये सामग्रियों एवं उपकरणों की मांग की गयी है, साथ ही आवश्यक मरम्मती कार्य कराने के लिये भी मांग किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:-

Sl No.	Name of Items	Quantity	Estimated Cost (Rs.)
1.	Air Conditioner	2 Pcs.	1,00,000/-
2.	Bulb/Tube Set	20 Pcs.	60,000/-
3.	Ceiling Fan	06 Pcs.	18,000/-
4.	Referigerator - 220 ml.	2 Pcs.	60,000/-
5.	Invertor with Battery - 2kva	01 Set	40,000/-
6.	R.O. (Water Filter)	01 Pc.	20,000/-
7.	Telephone with Net Facility	01 Pc.	10,000/-
8.	Electricity Wiring Work	*****	35,000/-
9.	Water Supply Work	*****	15,000/-
10.	Repair work of Floor	*****	32,000/-
11.	Repair work of Iron Grill Gate	*****	25,000/-
12.	Painting/Whitewashing of Drug Warehouse	*****	75,000/-
TOTAL			4,90,000/-

(मो० चार लाख नब्बे हजार मात्र)

पुर्व में भी दवा भण्डार गृह के मरम्मती एवं आवश्यक कार्य कराने के लिये राशि ₹.3,00,000/- (तीन लाख मात्र) उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग कर लिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि दवा भण्डार गृह के मरम्मती कार्य एवं आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने के लिए राशि ₹.4,90,000/- (चार लाख नब्बे हजार मात्र) का बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही जिला औषधि भण्डार में होने वाले कार्यालय व्यय के लिये राशि ₹.10,000/- (दस हजार प्रति माह) के दर से पूरे वर्ष के लिये राशि ₹.1,20,000/- (एक लाख बीस हजार मात्र) का भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ह०/-)

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

(ह०/-)

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद





जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



114

पत्रांकDHS/(Acc.)/22-23

ज्ञापांक.....1175/DHS/Acc./2022-23, औरंगाबाद, दिनांक 31/05/2022

- ✓ प्रतिलिपि :- श्री मनीष रंजन, उप निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, ड्रग सेल, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

